

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: अर्थना प्रपत्र :-

भाग—1

(क. हिन्दी में)

(इस भाग को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में भरें। आवश्यकतानुसार अलग-अलग पृष्ठ प्रयुक्त करें।)

1.	विभाग का नाम	
2.	विभाग का मुख्यालय	
3.	पद का नाम	
4.	भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या	
5.	वेतनमान, पे बैंड व ग्रेड पे	
6.	अनिवार्य योग्यता	
7.	अधिमान्य योग्यता	
8.	अनुभव	
9.	न्यूनतम आयुसीमा	
10.	अधिकतम आयुसीमा	
11.	संबद्ध सेवा नियम	
12.	पद का नियम में सेवा वर्ग	राज्य सेवा / अधीनस्थ सेवा / मंत्रालयिक सेवा
13.	पद की प्रकृति	स्थायी / अस्थायी
14.	परीक्षा का स्वरूप	प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती
15.	अन्य विशेष शर्तें / योग्यताएँ	

भाग—1

(ख. अंग्रेजी में)

1.	Name of the Department	
2.	Headquarter of the Department	
3.	Name of the Post	
4.	No.of Posts to be filled up	
5.	Pay Scale, Pay Band & Grade Pay	
6.	Essential Qualification	
7.	Preferential Qualification	
8.	Exeprience	
9.	Minimum Age Limit	
10.	Maximum Age Limit	
11.	Relevant Service Rule	
12.	Service Category in Relevant Rules	State Service/Subordinate Service/Ministerial Service
13.	Type of Post	Permanent/Temporary
14.	Mode of Recruitment	By Competitive Exam/Direct Recruitment by Interview
15.	Other Specific Conditions/Qualifications	

भाग-2

क. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना

क्र. सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			रिक्ति वर्ष
				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	
1.	सामान्य वर्ग						
2.	अनुसूचित जाति						
	अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)						
3.	अनुसूचित जनजाति						
	अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)						
4.	बारां जिले के किशनगंज, शाहाबाद तहसील के सहरिया						
5.	पिछड़ा वर्ग						
6.	विशेष पिछड़ा वर्ग						
7.	आर्थिक पिछड़ा वर्ग						

ख. बैकलॉग के पद (3 वर्ष तक कैरी फारवर्ड होने वाले अजा/अजजा के पद)

क्र. सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	सामान्य (पुरुष)	महिला			रिक्ति वर्ष
				सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	
1.	अनुसूचित जाति						
2.	अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)						
3.	अनुसूचित जनजाति						
4.	अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)						
5.	बारां जिले के किशनगंज, शाहाबाद तहसील के सहरिया						

ग. क्षेत्रीय आरक्षण

निःशक्तजन			राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	अन्य
दृष्टिहीन (B/LV)	मूक बधिर (HI)	अस्थि विकृत (LD/CP)	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी			

-: प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण संबंधित सेवा नियमों और इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों के अनुरूप हैं और कार्यालय अनुदेशों (Executive Instructions) के अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थना भेजने के लिए सक्षम है।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम, दिनांक एवं मोहर

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के
पदनाम, दिनांक एवं मोहर



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: भर्ती का अर्थना प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश :-

1. प्रत्येक पद विशेष हेतु पृथक-पृथक अर्थना प्रपत्र भर कर भेजें।
2. प्रपत्र के प्रत्येक भाग में पूर्ण सूचना अंकित करें व जो भाग लागू न हो, उन्हें अवश्य काट दें। इसके अभाव में पद को विज्ञापित नहीं किया जा सकेगा।
3. अर्थना प्रपत्र को अपूर्ण या अशुद्ध भरकर भेजने, विलम्ब से भेजने अथवा समय पर सूचना न देने आदि समस्त कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व अधियानकर्ता (Requisitioning Authority) पर होगा और इसका उल्लेख आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाएगा।
4. आरक्षित पदों की रोस्टर प्रणाली के आधार पर निर्धारित संख्या अंकित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का ही होगा।
5. प्रपत्र के **भाग-2 (ग)** में निःशक्तजन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय आरक्षण अधीनस्थ सेवा में ही लागू होंगे।
6. निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों की गणना दिनांक 26-07-2011 को जारी राजस्थान निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार एवं अभिरक्षा) नियम, 2011 के नियम 37 में निर्धारित बिन्दुओं के अनुरूप की जाए।
7. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन/महिला वर्ग में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो पदों को नियमानुसार मेरिट की सामान्य प्रक्रिया से भरा जाए या उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों से ही भरा जाए, स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
8. यदि पद से सम्बन्धित सेवा नियम नहीं बने हैं या पद को सम्बन्धित सेवा नियमों के शिड्यूल में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उसके लिये निर्धारित योग्यता/अनुभव, आयुसीमा एवं आयुसीमा में छूट आदि के आदेशों की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
9. यदि पद नवीन वेतनमान में सम्मिलित नहीं है, तो वेतनमान/अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन वृद्धि से सम्बन्धित आदेशों की प्रति अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
10. यदि पद को विहित (Prescribed) सेवा नियमों के शिड्यूल में अस्थाई रूप से समाविष्ट किया गया हो, तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।
11. पद से सम्बन्धित योग्यताओं, अनुभव एवं आयु का विवरण पूर्ण रूप से यथास्थान भरें। केवल नियमानुसार या यूनिवर्सिटी हैण्डबुक के अनुसार लिखना पर्याप्त नहीं होगा। यदि सम्बन्धित भाग में लिखने के लिए स्थान अपर्याप्त रहता है, तो परिशिष्ट संलग्न करें।
12. यदि योग्यता में "मान्यता प्राप्त संस्था" से शब्द हो, तो मान्य संस्थाओं की सूची संलग्न करें। यदि योग्यता में "समकक्ष" शब्द हो तो समकक्ष योग्यता की सूची/तत्संबंधी आदेशों की प्रति संलग्न करें। यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो, तो उसका पूर्ण उल्लेख करें कि वह किस प्रकार का हो तथा कहां से प्रशिक्षण लिया हुआ हो।

राजस्थान लोक सेवा आयोग

आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने से पूर्व रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित अर्थना की चेक लिस्ट
(इस चेक लिस्ट को भरकर अर्थना के साथ अवश्य भेजें)

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	उत्तर		टिप्पणी/संलग्नक संख्या
1.	क्या पद नियमों से संलग्न अनुसूची (Schedule) में सम्मिलित है? <i>(यदि नहीं, तो उसका विवरण देकर उल्लिखित करें)</i>	हाँ	नहीं	
2.	क्या विज्ञापित होने वाले पद में नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में नियम (Rule) व अनुसूची (Schedule) में कोई अंतर है? <i>(यदि हां, तो उसे उल्लिखित करें)</i>	हाँ	नहीं	
3.	क्या यह पद आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है? <i>(यदि यह पद आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो क्या संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करवा दिया गया है)</i>	हाँ	नहीं	
4.	क्या पदों को भर्ती हेतु विज्ञापित कराने से पूर्व कार्मिक व वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है? <i>(यदि हां, तो उसकी फोटो प्रति भेजें)</i>	हाँ	नहीं	
5.	यदि अर्थना पदोन्नति के पदों से संबद्ध है, तो क्या पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से भरने से पूर्व कार्मिक वभाग एवं आयोग की सहमति प्राप्त कर ली गई है? <i>(यदि हां, तो उसकी फोटो प्रति भेजें)</i>	हाँ	नहीं	
6.	क्या कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार आवेदकों को आयुसीमा में छूट दी जानी है? <i>(यदि छूट दी जानी है, तो कितने वर्ष की देनी है, स्पष्ट करें)</i>	हाँ	नहीं	
7.	क्या इन पद/पदों की भर्ती प्रथम बार हो रही है? <i>(यदि पूर्व में यह भर्ती की गई है, तो उसका वर्ष/विज्ञापन संख्या लिखें)</i>	हाँ	नहीं	
8.	क्या पूर्व में यह भर्ती आयोग द्वारा ही की गई है? <i>(यदि पूर्व में यह भर्ती विभाग/अन्य द्वारा की गई है, तो उल्लेख करें)</i>	हाँ	नहीं	
9.	क्या पद की योग्यता व अन्य विवरण अर्थना प्रपत्र पर नियमानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में अंकित कर दिए गए हैं?	हाँ	नहीं	
10.	क्या समस्त आवश्यक आदेशों/परिशिष्ट आदि की फोटो प्रति अर्थना के साथ संलग्न की गई है?	हाँ	नहीं	
11.	क्या भरे जाने वाले पदों की संख्या आरक्षण के अनुपात व रोस्टर के अनुरूप है? यदि नहीं, तो भिन्नता का कारण स्पष्ट करें। <i>(सुविधार्थ आरक्षण के अनुपात/प्रतिशत की सामान्य स्थिति का चार्ट संलग्न है, जिस भी वर्ग में निर्धारित अनुपात/प्रतिशत भिन्नता हो, उसे स्पष्ट करें)</i>	हाँ	नहीं	

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

आरक्षण की अनुपात/प्रतिशत की सामान्य स्थिति का चार्ट

(इस नियमानुसार सामान्य स्थिति में बैकलाग होने, रोस्टर में भिन्न क्रम होने, राज्यस्तर से निम्न संवर्ग होने, न्यायिक निर्णयाधीन होने या पृथक् राजकीय आदेश होने आदि के कारण भिन्नता आ सकती है, जिसे विभाग चेक कर लें)

1. पद संबंधी आरक्षण वर्गवार सूचना								
क. सं.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	सामान्य (संबद्ध वर्ग में अनारक्षित) (कुल पदों का 70%)	महिला (कुल पदों का 30%)			रिक्ति वर्ष	
				सामान्य (कुल पदों का 20%)	विधवा (कुल पदों का 8%)	विच्छिन्नविवाह (कुल पदों का 2%)		
1	सामान्य वर्ग (अनारक्षित) (कुल पदों का 50%)							
2.	अनुसूचित जाति (कुल पदों का 16%)							
	अनुसूचित जाति TSP क्षेत्र (TSP क्षेत्र के पदों का 5%)							
3.	अनुसूचित जनजाति (कुल पदों का 12%)							
	अनुसूचित जनजाति TSP क्षेत्र (TSP क्षेत्र के पदों का 45%)							
4.	बारां जिले के किशनगंज, शाहाबाद तहसील के सहरिया (TSP क्षेत्र के पदों का 45%)							
5.	पिछड़ा वर्ग (कुल पदों का 21%)							
6.	विशेष पिछड़ा वर्ग (कुल पदों का 1%)							
7.	आर्थिक पिछड़ा वर्ग (कुल पदों का 4%-Notional)							
3. क्षैतिज आरक्षण								
निःशक्तजन (कुल पदों का 3%)			राजकीय कर्मचारी (कुल पदों का 1%)			भूतपूर्व सैनिक (कुल पदों का 12.5%)	उत्कृष्ट खिलाड़ी (कुल पदों का 2%)	अन्य
दृष्टिहीन (B/LV) (कुल पदों का 1%)	मूक बधिर (HI) (कुल पदों का 1%)	अस्थि विकृत (LD/CP) (कुल पदों का 1%)	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी			